IAN

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता श्री मकुन्द राम ढाले, उम्र 25 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 15, रामनगर डौंडीलोहारा तहसील डौंडीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा पहली से लेकर बारहवीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, निवास प्रमाण पत्र में मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार पिता मकुन्द राम दर्ज है तथा मेरे अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्नातक, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता श्री मकुन्द राम ढाले दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सत्येन्द्र कुमार ढाले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता श्री मकुन्द राम ढाले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सत्येन्द्र कुमार पिता-श्री मकुन्द राम माता-सुलेना बाई निवासी-वार्ड नं. 15, रामनगर डौंडीलोहारा, तहसील-डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.), पिन-491771	सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता-श्री मकुन्द राम ढाले माता-सुलेना बाई ढाले निवासी-वार्ड नं. 15, रामनगर डौंडीलोहारा, तहसील-डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.), पिन-491771

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र मुदलियार पिता अमृतम मुदलियार निवासी मकान नं. 41, नयापारा, मेन रोड मोतीलाल नेहरू वार्ड, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र को R. Satyanarayanan के नाम से जाना पहचाना जाता था तथा यही नाम समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम सत्यनारायणन मुदलियार (Satyanarayanan Mudliyar) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को Satyanarayanan Mudliyar S/o Mr. Rajendra Mudliyar and Ms. Shenbagavalli Mudliyar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

R. SATYANARAYANAN
S/o A. RAJENDRA
Mother- SHENBAGAVALLI
Address-NAYA PARA, MOTILAL NEHRU WARD
JAGDALPUR 494001

नया नाम

SATYANARAYANAN MUDLIYAR
S/o RAJENDRA MUDILYAR
Mother- SHENBAGAVALLI MUDLIYAR
Address-NAYA PARA, MOTILAL NEHRU WARD
JAGDALPUR 494001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र कुमार पिता श्री भाऊ रावजी बेहरे, उम्र 31 वर्ष, निवासी नारायण किराना स्टोर्स, साक्षरता चौक, वार्ड 18 केम्प-1, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त अंकसूची में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार आ. भाऊ राव बेहरे दर्ज है एवं मेरे उत्तम गल्वा मेटानिक्स लिमिटेड कम्पनी के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार बेहरे दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नरेन्द्र कुमार बेहरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नरेन्द्र कुमार बेहरे पिता श्री भाऊ रावजी बेहरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नरेन्द्र कुमार
पिता-श्री भाऊ रावजी बेहरे
निवासी-नारायण किराना स्टोर्स, साक्षरता चौक, वार्ड-18
केम्प-1, भिलाई, तहसील जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

नरेन्द्र कुमार बेहरे
पिता-श्री भाऊ रावजी बेहरे
निवासी-नारायण किराना स्टोर्स, साक्षरता चौक, वार्ड-18
केम्प-1, भिलाई, तहसील जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रवण कुमार द्विवेदी (Shravan Kumar Dwivedi) निवासी चौदहा कालोनी रामपुर, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आशुतोष द्विवेदी के दसवीं सीबीएसई की अंकसूची में पिता का नाम त्रुटिवश SHARVAN KUMAR DWIVEDI अंकित है जबकि मेरा वास्तविक एवं शासकीय अभिलेख में मेरा नाम SHRAVAN KUMAR DWIVEDI है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रवण कुमार द्विवेदी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्रवण कुमार द्विवेदी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

SHARVAN KUMAR DWIVEDI
निवासी-चौदहा कालोनी रामपुर, बैकुण्ठपुर
कोरिया (छ.ग.)
मकान नं. 60/4 मोबा. 9329504563

नया नाम

SHRAVAN KUMAR DWIVEDI
निवासी-चौदहा कालोनी रामपुर, बैकुण्ठपुर
कोरिया (छ.ग.)
मकान नं. 60/4 मोबा. 9329504563

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हेमा नायकर पति श्री हेमेन्द्र कुमार नायकर, उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कोटमी पोस्ट नगपुरा तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. पूर्व में मुझे हेम कुमारी आत्मजा श्री विश्वनाथ के नाम से जाना, पहचाना जाता था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हेमा नायकर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती हेमा नायकर पति श्री हेमेन्द्र कुमार नायकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
हेम कुमारी आत्मजा-विश्वनाथ निवासी-ग्राम कोटनी, पो. नगपुरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.), पिन-491001	श्रीमती हेमा नायकर पति-श्री हेमेन्द्र कुमार नायकर निवासी-ग्राम कोटनी, पो. नगपुरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.), पिन-491001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुसुम शेख पति श्री इरफान हुसैन शेख, उम्र 26 वर्ष निवासी-ब्लाक नं. 4 ई, सड़क-66, सेक्टर-6, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. कुसुम कुमारी पिता श्री कमल प्रसाद था तथा यही नाम मेरे समस्त प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 24-9-2013 को इरफान हुसैन शेख पिता श्री मोहम्मद हुसैन शेख के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कुसुम शेख रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कुसुम शेख पति श्री इरफान हुसैन शेख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. कुसुम कुमारी पिता-श्री कमल प्रसाद निवासी-एल.जी./8, भिलाई-3, पदुम नगर, वार्ड 17, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती कुसुम शेख पति-श्री इरफान हुसैन शेख निवासी-ब्लाक नं. 4 ई, सड़क-66, सेक्टर-6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मंगूलाल नेताम आत्मज श्री बल्देव नेताम, जाति गोंड, आयु 44 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 291/1, आर.ई. कालोनी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं द.पू.म. रेल्वे डोंगरगढ़ में विद्युत कर्षण विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पद पर पदस्थ हूं. मेरे रेल्वे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मंगूलाल बल्देव आ. बल्देव दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मंगूलाल नेताम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मंगूलाल नेताम आत्मज श्री बल्देव नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मंगूलाल बल्देव आत्मज-बल्देव निवासी-क्वा. नं. 291/1 आर.ई. कालोनी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	मंगूलाल नेताम आत्मज-बल्देव नेताम निवासी-क्वा. नं. 291/1 आर.ई. कालोनी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/1470.—बी. के. साख सहकारी समिति मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2286 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2013/114 दिनांक 30-01-2013 के द्वारा श्री आर.एस. तराने, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर.एस. तराने, सहकारी निरीक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत बी.के. साख सहकारी समिति मर्या. भिलाई पंजीयन क्रमांक 2286 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक/उपंदु/दुर्ग/2014/1519.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 32 दुर्ग दिनांक 09-01-2013 के द्वारा तेलघानी सहकारी समिति मर्या. थनौद पंजीयन क्रमांक 1743 के परिसमापक श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्रीमती हेमलता देशमुख कार्यालयीन कक्ष में कार्य करने हेतु पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एच.आर. चन्द्राकर को परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा में जारी किया गया है.

दुर्ग, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/1520.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु./परि./2013/1182 दिनांक 26-10-2013 के द्वारा उदवहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोहलाई पं. क्र. 2169 के परिसमापक श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारी निरीक्षक दुर्ग कार्यालयीन कार्य करने हेतु पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एच.आर. चन्द्राकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

दुर्ग, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/1526.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./6491 दुर्ग दिनांक 02-07-2013 के द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. चिरपोटी पं. क्रमांक 27 का परिसमापक श्रीमती हेमलता देशमुख, स.वि.अ. दुर्ग कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्रीमती हेमलता देशमुख, कार्यालयीन कक्ष में कार्य करने हेतु पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एच.आर. चन्द्राकर, व.स.नि., दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 23-12-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

दुर्ग, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/1542.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 698 दुर्ग दिनांक 02-06-2013 के द्वारा नवोदय खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. सिरसाखुर्द पं. क्रमांक 2567 संस्था का परिसमापक श्रीमती हेमलता देशमुख, स.वि.अ., कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्रीमती हेमलता देशमुख, कार्यालयीन कक्ष में कार्य करने हेतु पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एच.आर. चन्द्राकर, व.स.नि., दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.